न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः–   उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :–   52/2024

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

–प्रार्थी

–:बनामः–

अप्रार्थीः–1
सुखदेव पुत्र लाल सिंह कुम्हार (रिटेलर)
मैसर्सः–निरंकारी किरयाना स्टोर, नोहर रोड़, नजदीक बस स्टैण्ड, रावतसर,
तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़।
निवासीः–ढाबा के पास, रावतसर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थीः–2
संतोष कुमार तिवाड़ी (होलसेलर व रिपेकर/निर्माता)
मैसर्सः–तिवाड़ी टी कम्पनी, मैन बाजार, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।

–अप्रार्थीयान

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 52

उपस्थितः–

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री रजनीश पारीक, अभिभाषक अप्रार्थीयान।

–:निर्णयः–

दिनांक :–18.02.2025

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 21.02.2023 को समय दोपहर 02.50 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः–निरंकारी किरयाना स्टोर, नोहर रोड़, नजदीक बस स्टैण्ड, रावतसर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर सुखदेव पुत्र लाल सिंह कुम्हार (विक्रेता) निवासी–ढाबा के पास, रावतसर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते अलमारी के खाने में लगभग 10 पैकेट X 500 ग्राम वजनी Tea (Tiwari Brand) रखा हुआ था। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 04 पैकेट X 500 ग्राम वजनी Tea (Tiwari Brand) नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Tea (Tiwari Brand) के खरीद मूल का 560/–रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा 04 पैकेट X 500 ग्राम वजनी Tea (Tiwari Brand) पर चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं. एके–2425 मिन पर दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे खाकी कागज में लपेटकर ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके–2425 मिन पर दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार–चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं0 6 कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 189 दिनांक 03.03.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Misbranded Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/5394–95 दिनांक 15.03.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्रांक एफएसएसए/2023/12727 दिनांक 28.07.2023 द्वारा विक्रेता/रिटेलर को 07 दिवस में फर्म का खाद्य लाईसेंस/प्रोपराईटर पहचान पत्र/जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं संबंधित माल Tea (Tiwari Brand) का क्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। संबंधित रिटेलर ने उक्त खाद्य पदार्थ मैसर्स–तिवाड़ी टी कम्पनी, नोहर, जिला हनुमानगढ़ से क्रय करना बताया। जिसका इनवाईस नं. 4227 दिनांक 20.08.2022 फर्म द्वारा संलग्न किया गया। जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर की लैब जांच रिपोर्ट में अंकित निर्माण इकाई के खाद्य लाईसेंस के क्रमांक के आधार पर कार्यालय के ऑनलाईन साफ्टवेयर से निर्माण इकाई का खाद्य लाईसेंस एवं उत्तरदायी व्यक्ति का नाम प्राप्त कर निर्माण इकाई को अभियोजन में सम्मिलित किया गया। आवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Misbranded खाद्य पदार्थ Tea (Tiwari Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Tea (Tiwari Brand) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थीयान द्वारा बहस की गई कि फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री, बीकानेर की रिपोर्ट में नमूने को मिसब्राण्डेड फूड घोषित किया गया है। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 51, धारा 52 व धारा 54 का उल्लंघन नहीं किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 52 (2) में सुधारात्मक कार्यवाही कर छोड़ने का प्रावधान है। जिसका अप्रार्थी को लाभ प्रदान किया जावे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय की गई Tea (Tiwari Brand) की जांच में Misbranded की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Misbranded Tea (Tiwari Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीयान के Misbranded कृत्य के लिए धारा 52 के तहत अप्रार्थी–1 पर 15,000/–(अखरे रूपये पंद्रह हजार मात्र) एवं अप्रार्थी–2 पर 50,000/–(अखरे रूपये पचास हजार मात्र) एवं इस प्रकार प्रकरण में कुल 65,000/–(अखरे रूपये पैंसठ हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़